संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक: 06 फरवरी, 2019**

विषयः-लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)'' योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

केन्द्र पोषित प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम-किसान) योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-05-2019-सा०-01/2019, दिनांक 05-02-2019 निर्गत किया जा चुका है । उक्त के क्रम में जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुये विचार विमर्श तथा भारत सरकार से प्राप्त योजना की गाइड लाइन के अनुसार योजना को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए जाते हैं :-

1. पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर उपलब्ध गॉवों/मजरों को सेन्सस कोड के अनुसार उपलब्ध राजस्व ग्रामों में समाहित करने के पश्चात ग्रामवार सत्यापन हेतु सूची निकालने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब मजरेवार/गॉववार किसानों की सूची निकालने की व्यवस्था पोर्टल पर दे दी गयी है। पोर्टल से सूची निकालने के पश्चात शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार, सूची का सत्यापन अवश्य करा लिया जाय और तदनुरूप पोर्टल पर डाटा संशोधन के समय राजस्व ग्राम में सम्बन्धित मजरे को समाहित कर लिया जाय।
2. पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल से ग्रामवार डाटा Excel पर download करने के पश्चात प्रिन्ट न निकाल कर सीधे पोर्टल से प्रिन्ट निकालें क्योकि प्रिन्ट निकालने के पश्चात अथवा पूर्व में यदि डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया तो पोर्टल पर आंकड़ों के पुनः संशोधन करने में कठिनाई होगी।
3. जिन गावों/मजरों के राजस्व गावों का पता नहीं चल पा रहा हो उन गावों/मजरों में पंजीकृत किसानों के मोबाइल नम्बर पर फोन करके भी राजस्व गावों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात सम्बन्धित लेखपाल को राजस्व ग्रामवार पोर्टल से प्रिन्ट की गयी कृषक सूची जिसमें सम्बन्धित राजस्व ग्राम के मजरों/गॉवों की भी सूची होगी, सत्यापन के लिये उपलब्ध करा दी जाय। ध्यान रहे कि किसी भी मजरे/गॉव की सूची सत्यापन से छूटने न पाये।
4. पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल से प्राप्त सूची में संशोधन भूलेख के आकड़ों तथा सत्यापन के दौरान प्राप्त सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। भूलेख का अभिलेख डाटा सत्यापन हेतु मौलिक अभिलेख होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सत्यापन के पश्चात प्राप्त अभिलेखों तथा घोषणापत्रों के आधार पर पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर डाटा का संशोधन किया जाएगा। इसके लिए उप कृषि निदेशक अपनी Login से यथावश्यकता User Login create करेंगे। लागिन के उपयोग का अधिकार उप कृषि निदेशक द्वारा केवल नियमित कर्मचारी को दिया जायेगा, जो अपनी देखरेख में डाटा फीडिंग तथा संशोधन का कार्य करेगा अथवा कम्प्यूटर आपरेटर से स्वयं करायेगा।
6. सत्यापित डाटा के आधार पर पोर्टल में आवश्यक संशोधन के पश्चात तैयार लाभार्थी सूची को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत के समक्ष प्रदर्शित किया जायेगा और यदि उपर्युक्तानुसार फीडिंग के उपरान्त लाक्ड डाटा में कोई संशोधन यथा किसान का बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि में संशोधन आवश्यक है तो अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर उप कृषि निदेशक की लागिन से तत्समय ही संशोधित किया जायेगा।
7. संशोधित डाटा को उप कृषि निदेशक के डिजिटल हस्ताक्षर से PM-KISAN पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC का सहयोग लेते हुए अपलोड कराया जायेगा।
8. योजना का लाभ का किसी भी संस्थान/संस्था की भूमि पर देय नही है।
9. घोषणा पत्र परिवार के सन्दर्भ में भरा जायेगा। योजनान्तर्गत परिभाषित परिवार के अन्तर्गत पति, पत्नी व अवयस्क बच्चे सम्मिलित है। घोषणा पत्र पर कृषक अथवा उसके पत्नी/पति के हस्ताक्षर होंगे। कृषक का नाम अवश्य लिखा जायेगा।
10. परिवार में लाभार्थी कृषक के उपलब्ध न रहने की दशा में परिवार के दूसरे वयस्क सदस्य द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जा सकेगा।
11. लाभार्थी कृषक परिवार के पास संयुक्त खाते की भूमि होने की दशा में सबसे अधिक भूमि अंशधारक सदस्य के खाते मे धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। यदि कृषक परिवार के संयुक्त खाते की भूमि में सभी सदस्यों का अंश एक समान है, तो ऐसी स्थिति में उम्र में बड़े सदस्य के खाते में धनराशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।
12. लाभार्थी कृषक परिवार/सदस्य के पहचान दिनांक 01.02.2019 को राजस्व अभिलेखो में उपलब्ध कृषि भूमि की स्थिति पर निर्धारित की जायेगी तथा आगामी 5 वर्षों के लिए अपरिवर्तनीय रहेगी।
13. लाभार्थी के बैंक का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, बैंक खाता संख्या एवं आधार नम्बर भरने में विशेष सावधानी बरती जाये, ताकि धनराशि के स्थानान्तरण में कोई असुविधा न हों।
14. सत्यापन के प्रपत्र पर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे।

2- संदर्भित शासनादेश के आलोक में दिये गये उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराते हुए युद्ध स्तर पर शासनादेश दिनांक 05.02.2019 में दी गई समय-सारणी के अनुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

<u>संलग्नकः-एक काल्पनिक गाँव का उदाहरण।</u>

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव, कृषि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2019/204(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र सं0-1-1/2019/क्रेडिट.। दिनांक 01 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
12- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत एक काल्पनिक राजस्व ग्राम रमपुरा का उदाहरण।

1. राजस्व ग्राम रमपुरा भूलेख के आधार पर खतौनी खातों की संख्या-100 है। इनमें से 80 खातेदारों के पास दो हेक्टेयर अथवा उससे कम भूमि है।

2. राजस्व ग्राम रमपुरा एवं उसके मजरों को सम्मिलित करते हुए पारदर्शी किसान योजना के पोर्टल पर 150 किसानों का पंजीकरण है।

3. इन दोनों की डेटाबेस की मैपिंग करने पर यह संभव है कि उपरोक्त 80 खाते, जिनमें दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि है में से 50 खातों में ही उल्लिखित कृषक परिवार पारदर्शी किसान के पोर्टल पर पंजीकृत पाए जाएं। इन 50 खातों में यदि 80 कृषक परिवार हैं तो पारदर्शी में 80 अथवा उससे कम कृषकों का पंजीकरण उपलब्ध होगा। ध्यान रहे कि लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पति-पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के पास सम्मिलित रूप से दो हेक्टेयर अथवा उससे कम भूमि होनी चाहिए। पारदर्शी किसान पोर्टल पर यदि किसी कृषक द्वारा नाम आदि में परिवर्तन करते हुए एक बार से अधिक पंजीकरण करा लिया गया हो, तो उक्त कृषक को केवल एक बार संज्ञान में लिया जाएगा।

4. भूलेख के 80 में से 50 खातों से संबंधित कृषक ही पारदर्शी किसान के पोर्टल पर पाए गए एवं मिलान करने पर 75 कृषक/उनके परिवार से संबंधित डेटा को सत्यापित कर लिया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार उसे संशोधित कर लिया जाएगा।

5. सत्यापित डेटा को मुख्यालय में पारदर्शी किसान पोर्टल पर की गयी व्यवस्था के अनुसार अपलोड किया जाएगा। यहां भाग-1 का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

6. बाकी बचे कृषकों को द्वितीय चरण के बारे में सूचित कर दिया जाएगा एवं उन्हें यह भी बता दिया जाएगा कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए उन्हें बैंक खाता नम्बर, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर आदि उपलब्ध कराना है। आधार नम्बर न होने की दशा में समस्त लाभार्थियों को आधार इनरोलमेंट नम्बर एवं एक वैकल्पिक पहचान पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह भी अवगत करा दिया जाए कि सन् 2019-2020 से मिलने वाला लाभ केवल आधार नम्बर के आधार पर ही प्राप्त हो सकेगा।

7. भूलेख के भाग-1 के 50 खातों की मैपिंग हो जाने के पश्चात् अब दो अथवा दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले 30 खातों में दर्ज परिवारों का डेटा प्राप्त करते हुए उसे अपलोड करना होगा।

8. उक्त के अतिरिक्त दो हेक्टेयर से बड़ी भूमि वाले 20 खातों को भी इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि यदि इनमें से कुछ शामिल खाते हैं तो उनमें दर्ज परिवारों के पास दो हेक्टेयर अथवा उससे कम भूमि तो नहीं है ? यदि पिता की मृत्यु के पश्चात् पांच हेक्टेयर भूमि वाले खाते में उसके तीन पुत्रों के नाम सम्मिलित रूप से हों और वह तीन अवयस्क हैं तो प्रत्येक परिवार इस योजना के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभान्वित किया जाएगा ताकि उनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। इस प्रकार से डेटा प्राप्त करते हुए उसे अपलोड किया जाएगा, जिसे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) की देखरेख में प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

9. उपरोक्तानुसार भाग-दो का भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार जनपद के समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु डाटा योजना के पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड कराना है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।